उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001
Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0(न0अधि0) / 10 / 2021–22 / 08 दिनांकः 03 जनवरी, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरूष) के रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन

नर्सिंग अधिकारी परीक्षा–2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	03 जनवरी, 2023 (मंगलवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	12 जनवरी, 2023 (वृहस्पतिवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	01 फरवरी, 2023 (बुधवार) (सांय 05.00 बजे तक)
आवेदन शुल्क **Net Banking /Debit/Credit Card/UPI** के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि	01 फरवरी, 2023 (बुधवार) (सांय 05.00 बजे तक)

पदों का विवरण

01. रिक्तियों का विवरणः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरूष) के पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 1564 है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद का नाम		वेतनमान	पद कोड	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य / अनारक्षित
1		2	3	4	5	6	7	8	9
नर्सिंग अधिकारी महिला (80%)	डिप्लोमा धारी (70%)	₹44,900–₹1,42,400 (लेवल 7)	**101**	623	110	16	69	62	366
	डिग्री धारी (30%)		**102**	529	101	19	66	52	291
नर्सिंग अधिकारी पुरुष (20%)	डिप्लोमा धारी (70%)		**103**	281	38	09	37	28	169
	डिग्री धारी (30%)		**104**	131	26	05	15	13	72
कुल				**1564**	**275**	**49**	**187**	**155**	**898**

02. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

कः– नर्सिंग अधिकारी महिला (डिप्लोमा धारी 70%) पद कोड –101

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	अनुसूचित जाति	110	05	02	04	05	94
2.	अनुसूचित जनजाति	16	–	–	–	–	16
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	69	03	01	02	03	60
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	62	03	01	02	03	53
5.	सामान्य / अनारक्षित	366	18	07	14	18	309
	योग	**623**	**29**	**11**	**22**	**29**	**532**

खः– नर्सिंग अधिकारी महिला (डिग्री धारी 30%) पद कोड–102

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जाति	101	05	02	04	05	85
2.	अनुसूचित जनजाति	19	–	–	–	–	19
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	66	03	01	02	03	57
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	52	02	01	02	02	45
5.	सामान्य/अनारक्षित	291	14	05	11	14	247
	योग	**529**	**24**	**09**	**19**	**24**	**453**

गः– नर्सिंग अधिकारी पुरूष (डिप्लोमा धारी 70%) पद कोड–103

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जाति	38	01	–	01	01	35
2.	अनुसूचित जनजाति	09	–	–	–	–	09
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	37	01	–	01	01	34
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	28	01	–	01	01	25
5.	सामान्य/अनारक्षित	169	08	03	06	08	144
	योग	**281**	**11**	**03**	**09**	**11**	**247**

घः– नर्सिंग अधिकारी पुरूष (डिग्री धारी 30%) पद कोड –104

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जाति	26	01	–	01	01	23
2.	अनुसूचित जनजाति	05	–	–	–	–	05
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	–	–	–	–	15
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13	–	–	–	–	13
5.	सामान्य/अनारक्षित	72	03	01	02	03	63
	योग	**131**	**04**	**01**	**03**	**04**	**119**

03. वेतनमानः– ₹ 44,900–₹ 1,42,400 (लेवल 7)

04. पद का स्वरूपः–अराजपत्रित; अंशदायी पेंशन युक्त।

05. शैक्षिक अर्हताः– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैः–

(I)– अनिवार्य अर्हताः–

(क) अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बी0एस0सी0 (ऑनर्स), **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0एस0सी0 नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो।

(ख) उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् से बी0एस0सी0 (ऑनर्स) **अथवा** बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी/मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र हो।

(ग) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।

(II)– अधिमानी अर्हताएं: –

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''**बी**'' अथवा ''**सी**'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड / भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध / नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

07. **आयु:– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2022 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष हो तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।**

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य ऐसी श्रेणियों, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विर्निदिष्ट की गयी हो।

08. अधिकतम आयु सीमा में छूट:– उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या– 6 / 1 / 72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना मे अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश संख्या: 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश संख्या: 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिषा–निर्देष निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य है।

09. अनिवार्य / वांछनीय अर्हता:– अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile) धारित करता हो,

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:– शासन की अधिसूचना सं0: 164/XXX-2/19-01(17)/2012, दि0 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी

सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

10. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्रः</u>– जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत हो, उन्हें सम्बन्धित विभाग का विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. <u>आरक्षण</u>

a. **ऊर्ध्व आरक्षण** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

b. **क्षैतिज आरक्षण** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, जिनके माता–पिता की कोई जानकारी न हो, एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

c. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

d. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्याः 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनाकं 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वही प्रमाण–पत्र मान्य होगा जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जारी किया गया हो।

e. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **"अनाथ बच्चों"** से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता एवं माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

शासनादेश संख्याः 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैछिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी

राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। शासनादेश संख्याः 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019ए दिनांक–16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

f. दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यागंता की विभिन्न श्रेणियों मे से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यागंता होना अनिवार्य है। जिस–जिस ता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, के अनुसार दिव्यांग (पी0एच0) OL (One Leg Affected) को स्टाफ नर्स के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। **सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**

h. अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हे उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्याः 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तथा शासनादेश दिनांक 26.02.2016 की शर्तों के अनुसार निर्गत होने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

i. ''**पूर्व सैनिक**'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रुप में सेवा की हो और जो– **(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐंसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरुप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

<u>नोटः पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रुप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।</u>

j. ''**स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित**'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

k. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।

l. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

m. **ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।**

n. उपर्युक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी की गणना आरक्षित श्रेणी के रूप में नहीं की जायेगी। यदि वह वर्षवार ज्येष्ठता में आती/आता है तो उसकी गणना अनाराक्षित श्रेणी में की जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी आरक्षण का लाभ आयुसीमा में लिया गया हो और वे उस श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

12. राष्ट्रीयताः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक होः या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणीः– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. चरित्रः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो; परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. शारीरिक स्वस्थताः– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं है और किसी एसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे–

(क) सेवा में अन्य पदो के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, परन्तु यह कि

1. दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्या–49) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनो को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नंही किया जायेगा।
2. पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

16. <u>चयन प्रक्रिया</u>

(क) चयन वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जायेगा।

(ख) शासनादेशानुसार कुल अधिकृत पदों के सापेक्ष 80% महिला एवं 20% पुरूषों हेतु निर्धारित है, जैसा कि तालिका पैरा–1 में दर्शाया गया है। चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंको से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी के डिप्लोमा/डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनायी जायेगी।

(घ) डिप्लोमा तथा डिग्रीधारक अभ्यर्थियों (महिला/पुरूष) की योग्यताक्रम में, जैसा कि डिप्लोमा/डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, पृथक–पृथक सूचियां तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो उनके नाम, अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम पहले, के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक चयन वर्ष (2022–23) के लिए मान्य होगी।

(च) चयन का मानदण्ड वर्षवार योग्यता क्रम है अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के न्यूनतम 1½ (डेढ़ गुना) अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जायेगी।

17. <u>ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर जाएं तथा Apply Now पर क्लिक करें।

b. ऑनलाईन आवेदन हेतु **Nursing Offince Examination-2023** के सम्मुख **"Apply Now"** पर जाएं क्लिक करें।

c. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर जायें। **ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 12 जनवरी, 2023 (वृहस्पतिवार) से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।**

d. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 01 फरवरी 2023, बुधवार (सांय 05.00 बजे तक) है।

e. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन को भली–भॉति पढ़ लें। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें।

f. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

g. ऑफलाईन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

h. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

i. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

j. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः सही प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।

k. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

l. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

m. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा ही जमा करा सकते है।

n. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

o. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

p. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

18. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

a. Step 1: Registratiom
b. Step 2: Application Submission
c. Step 3: Fee Submission

➢ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरणः–

a. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।

b. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।

c. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।

d. Registration करते समय अभ्यर्थी पदकोड तथा पदनाम का सही–सही चयन करें तथा अन्य चाहे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भर कर सुरक्षित (Save) करना होगा।

e. Registration प्रोफाइल को सुरक्षित करने के उपरान्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा अंकित की गई ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड सिस्टम द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

f. अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर ऑनलाईन पत्र पोर्टल में लॉग–इन कर सकते है।

g. ऑनलाईन पोर्टल में लॉग–इन करने के उपरान्त आवेदक अपने से सम्बन्धित चाहे गए विवरण को भर कर सुरक्षित कर लें। डाटा को सुरक्षित करने से पूर्व अंकित किए गए डाटा का मिलान कर लें।

h. विवरण भरने के उपरान्त आवेदन को उसकी शैक्षिक अर्हता तथा कांउसिल में पंजीकरण सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य है। **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि उन्हे डिग्री/डिप्लोमा के कॉलम में उनके द्वारा कोर्स के सभी वर्ष/सैमेस्टर के अंकों का कुल योग अंकित किया जाना है।** जिन अभ्यर्थियों को किसी डिग्री/डिप्लोमा के वर्ष/सैमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर उस वर्ष/सैमेस्टर के सप्लीमैन्ट्री अंको का योग कर पोर्टल में अंकित किये जाने है। अभ्यर्थी डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त कुल अंक (Obtained Marks) तथा डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का वर्ष ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि यही चयन का आधार है।

i. परीक्षा परिणाम घोषित (Result Declaration Date) करने की तिथि के कॉलम में वह तिथि अंकित करे जिस तिथि को अन्तिम मार्कशीट अभ्यर्थी को जारी की गई है।

j. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् के पंजीकरण विवरण में **उत्तराखण्ड नर्सेस एन्ड मिडवाइव्स काउंसिल, देहरादून** और **भारतीय नर्सिंग परिषद्** दोनों में से एक विकल्प, जंहा अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि में सम्यक रुप से पंजीकृत हो, का चयन करें, तथा उसके उपरान्त पंजीकरण संख्या, पंजीकरण करने तिथि एवं पंजीकरण की वैधता तिथि अंकित करें तथा डाटा को सुरक्षित करने से पूर्व जॉच लें।

k. अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (SIZE: 20 KB to 50 KB) और हस्ताक्षर (SIZE 5 KB to 20 KB) की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File), जिसका साइज 200 के0बी0 से 02 एम0बी0 तक होगा, अपलोड किया जाना अनिवार्य हैः–

संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है।

1. High School Certificate
2. Intermediate Certificate
3. Domicile of Uttarakhand (If Any)
4. Category certificate SC/ST/OBC/EWS
5. Sub Category Certificates: Dependent of Freedom Fighter (DFF)/Ex-Army /Differently

abled (PH)/ Orphan Children of Uttarakhand State

6. Degree/Diploma All year Mark sheet
7. Degree/Diploma Passing Certificate.
8. NCC/Teritorial Army Certificate
9. **Uttarakhand Nurses and Midwives council, Dehradun or Indian Nursing Council** Registration Certificate

नोटः— उपरोक्त के आधार पर संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (**Combined Single PDF File**) में क्रम संख्या 1,2,6,7 एवं 9 संलग्न किया जाना अनिवार्य है, तथा श्रेणी/उपश्रेणी आरक्षण सम्बन्धी लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु क्रम संख्या 3,4 और 5 (जिसका दावा अभ्यर्थी करते हो) संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (**Combined Single PDF File**) के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

l. आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा।

m. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।

n. अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र में बदलाव नहीं कर सकेंगे।

o. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

p. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकताः—

- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- यू0पी0आई0

19. <u>शुल्क</u>ः— ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन—पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः—

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹300/—मात्र
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹150/—मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹300/—मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹150/—मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹150/—मात्र
06	उत्तराखण्ड दिव्यांग	₹150/—मात्र

<u>नोट</u>

a. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप—श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

b. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

c. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

20. आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्याः 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का पूर्व से निर्गत प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि या इससे पूर्व वैध था परन्तु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैधता समाप्त हो गई है और नया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत हुआ है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसे अन्य पिछडा वर्ग का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। शासनादेश संख्याः 23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (ख) क्षैतिज आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी यदि विवाह के पश्चात् जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे अपने पिता पक्ष का भी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21. <u>अति महत्त्वपूर्ण निर्देश</u>

- **a.** अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक वैध अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- **b.** अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- **c.** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।
- **d.** बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- **e.** अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं थी/था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रुप से चयनित कर लिया जाती/जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- **f.** **ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रेणी/उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि तथा प्रमाण पत्र संख्या में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सावधानीपूर्व श्रेणी/उपश्रेणी के विवरण का अंकन करें।**
- **g.** अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति–सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- **h.** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें।

i. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

j. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

k. **हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।**

l. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय स्नात्तक/डिप्लोमा के अंकों में कुल अंको का योग का अंकन करे, जितना उनके द्वारा सभी सैमेस्टर में प्राप्त किया गया हो। अभ्यर्थी कृपया भली–भांति चैक कर लें कि वे आवेदन पत्र में अपनी स्नातक/डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविस्टि तथा योग को अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थि द्वारा आवेदन पत्र में स्नातक/डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि एवं योग अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।**

m. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नही पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा चयन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

n. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।

o. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

p. **अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।**

q. **बोर्ड भवन में आचरणः–** अभिलेख सत्यापन के समय कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

r. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही–** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। चयन के चरणों में अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

s. आवेदित पद पर अन्तिम रुप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐंसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

t. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

u. **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगाः –**

i. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात्
(क) गैर कानूनी रुप से परितोषाण की पेशकश करना
(ख) अनुचित दबाव डालना, या

ii. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसेः–

a. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रही/रहा है, और/अथवा

b. उसे स्थायी रुप से अथवा एक विशेष अवधि के लिएः –

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,

c. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक किः–

(1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

22. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नही है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।

23. अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगें, जिन्हें डाउनलोड़ करके अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश–पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।

24. चयन से सम्बन्धी किसी भ्रामक खबर प्रचार–प्रसार न करें। किसी भी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष नम्बर तथा ई–मेल पर सम्पर्क करें।

ह0/–
(अरविन्द सिंह पांगती)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।